

फॉर्म अहताम



राजवेन्द्र

बंगाम

राजीन्द्र दत्ता तगैरह

मालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट शाहपुरा (जयपुर)

संख्या 27/2021 वाद स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 आर टी ए

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
11.5.2021	<p>वादीगण की ओर से यह वाद पत्र जरिये अभिभाषक श्री हजारी प्रसाद एडवोकेट ने पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्ता ली गई। वाद पत्र दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण की तलबी जरिये सम्मन की जाकर पत्रावली आईन्दा दिनांक 31.05.2021 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">  उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला जयपुर </p> <p style="text-align: center;"> उपस्थित/अभिभाषक एवं कार्यस्थिति रखा P.O. ताहर है। पत्रावली प्राईन्दा इस वादेण की पासना से दिनांक को पेश हो। </p> <p style="text-align: center;"> बकील उभयपक्ष उपस्थित/पत्रावली द्वारा श्यायिक कार्यस्थिति रखा P.O. ताहर है। पत्रावली प्राईन्दा इस वादेण की पासना से दिनांक को पेश हो। </p>	
31/5/21	<p>5/7/21 आदेश पत्रावली बकील बकील के उपर पट्टि उभरेत वा. केरी से पूर्व शरण देकर पेश हुई, बकील बकील ने अपने उपर के सम्बन्ध में लिखे कि भा. कि. पत्रावली के मध्य राजीवना को हुवा है। अतः उभयपक्ष को आगे नहीं बढ़ाया जाये है। उभयपक्ष को बिडो कर स्वारी किया जाये। पत्रावली का अन्वेषण किया। अतः बकील बकील के द्वारा उभयपक्ष को बिडो करने पर स्वारी किया गया है। पत्रावली के सब उपाय लेने पर ले जाते है।</p> <p style="text-align: center;">  उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान </p>	